अपीलीय अधिकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी संदेश नायक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. बृजविहारी रेला पुत्र श्री गंगासहाय रेला,
2. कमला रेला पत्नी श्री बृजविहारी रेला,

निवासी बी–4, रघुनाथ कॉलोनी, गलता गेट, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

सीमा रेला पत्नी श्री रवि रेला पुत्री स्व॰ श्री कन्हैयालाल गुप्ता, निवासी हाल कब्जाधारी बी–4, रघुनाथ कॉलोनी, गलता गेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 12.09.2024 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (उत्तर) के प्रकरण संख्या 29/2024 ब–उनवानी बृजबिहारी रेला व अन्य बनाम सीमा रेला।

उपस्थितः–

1. श्री गोपाल सिंह प्रतिनिधि अपीलार्थीगण की ओर से।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 26.05.2026**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शहर उत्तर, जयपुर के प्रकरण संख्या 29/2024 ब–उनवानी बृजबिहारी रेला व अन्य बनाम सीमा रेला निर्णय दिनांक 12.09.2024 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थिया स्वयं मय प्रतिनिधि उपस्थित। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा–5 एवं 21 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रकरण को अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थिया के मध्य तय नहीं कर गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से प्रकरण को अपीलार्थीगण के पुत्र एवं प्रत्यर्थिया के मध्य तय किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि "पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पुत्र द्वारा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन विवाह विच्छेद प्रकरण में सहानुभूति प्राप्त

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने व इस हेतु साक्ष्य एकत्रित किये जाने बाबत माता–पिता (प्रार्थीगण) को माध्यम बनाकर उनकी पुत्रवधू (अप्रार्थिया) के विरूद्ध यह अनुतोष भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों को माध्यम बनाकर चाहा है।" अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण को अपीलार्थीगण सास ससुर एवं पुत्रवधू के साथ पति पत्नी के मध्य विवाद मानकर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त अधिनियम का उद्देश्य अनुसार ऐसे नागरिकों के वास्तविक हितो व अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर उनकी सुरक्षा करना है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया कि "पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नही है, प्रार्थीगण की कितनी जायंदा संतान है व उन्हे पक्षकार ना बनाकर मात्र एक पुत्र की पुत्रवधू को ही पक्षकार किस मंशा से बनाया गया है व उनके विरूद्ध अनुतोष चाहा जाना किस प्रकार पोषणीय है।" जिस संदर्भ में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि व्यथित पक्षकार जिस व्यक्ति के आपराधिक कृत्यों/आचरण से पीडित है उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में विधिक अनुतोष हेतु आवेदन कर सकता है। प्रकरण में अपीलार्थीगण मात्र अपने पुत्र रवि की पुत्रवधू सीमा रेला प्रत्यर्थिया के क्रूर आचरण व सम्पत्ति पर अविधिक रूप से कब्जा कर अपीलार्थीगण को सम्पति से महरूम करने पर आमादा होने से प्रत्यर्थिया को ही पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के पुत्र एवं पुत्रवधू के मध्य विचाराधीन पारिवारिक न्यायालय विवाद का हस्तगत प्रकरण से भिन्न वाद हैतुक होने से कोई सरोकार नहीं था। अधीनस्थ अधिकरण ने पति–पत्नी के विवाद के रूप में विवेचना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया कि "अगर अप्रार्थिया की इस स्थिति में मुताबिक अनुतोष बेदखली की जाती है तो वह सक्षम न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पहले ही व्यवहारिक प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पहले ही व्यवहारिक रूप से विवाह विच्छेद किये जाने के समक्ष होगा जो न्यायोचित नहीं है।" पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पति–पत्नी के मध्य मेट्रोमोनियल डिस्पुट है जबकि प्रार्थना पत्र सास–ससुर व पुत्रवधू के मध्य सम्पति की बेदखली को लेकर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 से संबंधित होकर भिन्न वाद हैतुक पर आधारित है, जिसे किसी भी रूप में पति पत्नी के मध्य विचाराधीन वाद से संबंधित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं की क्रयशुदा सम्पति के संदर्भ में दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रत्यर्थिया के क्रूर आचरण व बदतमीजी तथा स्वयं की जान माल को आसन्नभूत खतरा होना बताकर प्रत्यर्थिया की स्वयं की निजी सम्पति से संरक्षण हेतु बेदखली चाही थी। अपीलार्थीगण को अपने पुत्र से कोई शिकायत नहीं होने से उसे आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थीगण की खरीदशुदा सम्पति में प्रत्यर्थिया का कोई विधिक अधिकार नही है। अपीलार्थीगण के पुत्र रवि रेला द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 12 (i) (ंक) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 पारिवारिक न्यायालय क्रम–5, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दिनांक 08.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रत्यर्थिया को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि ने अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के आधार पर पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। क्योंकि समरी ट्रायल के आधार पर पुत्रवधू को इस अधिनियम के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलार्थीगण अपने पुत्र रवि रेला के साथ ही रख रहे है। अपीलार्थीगण ने रवि रेला से आपस में सांठ–गांठ कर प्रत्यर्थिया को उस मकान से विस्थापित करना चाहते है। अधिनिमय 2007 की धारा 2डी के तहत पुत्रवधू पारिवारिक सदस्य में नहीं आती है ओर इस कारण भी इस अधिनियम की तहत उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार का कोई साम्पतिक अधिकार पति के जीवित रहते सास–ससुर की सम्पति से प्राप्त नहीं होते है। अपीलार्थीगण ने अपने पुत्र रवि रेला के प्रभाव में आकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण के पुत्र रवि रेला द्वारा विवाह विच्छेद याचिका पारिवारिक न्यायालय क्रम–1 जयपुर महानगर जयपुर में वर्ष 2023 में प्रस्तुत कर दी थी। अपीलार्थीगण के पुत्र रवि रेला द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 12 (i) (ik) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 पारिवारिक न्यायालय क्रम–5, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दिनांक 08.04.2026 को स्वीकार के विरूद्ध प्रत्यर्थिया द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम--2007 की धारा 5 तहत अपनी पुत्रवधू को पक्षकार बनाया जाकर स्वअर्जित सम्पति से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधिनियम के तहत प्रत्यर्थिया संतान की परिभाषा में नहीं आती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) इस प्रकार है– (A) Children Inculdes son, daughter, grandson and grand-daughter but dose not include a minor ; अर्थात इस अधिनियम के तहत वयस्क पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्री के विरूद्ध ही परिवाद लाया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अधिनियम में अपनी सुविधानुसार आधार बनाकर प्रत्यर्थिया को विवादित सम्पति से बेदखल करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रत्यर्थिया एवं प्रत्यर्थिया के पति के मध्य विवाह विच्छेद याचिका पारिवारिक न्यायालय क्रम–5, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दिनांक 08.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अपीलार्थीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शहर उत्तर, जयपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से खारिज हो कर शुमार फैसल हो।

आदेश आज दिनाक 26.05.2026 को सरे इजालास सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner